



# UP - PCS

प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा

Prelims & Mains

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज

सामान्य अध्ययन

पेपर 2 – भाग 1

भारत की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान



# UP - PCS

## पेपर - 2 भाग - 1

### भारत की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान

S.No.	Chapter Name	Page No.
1.	<b>भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• संविधान के कार्य</li><li>• भारत के संविधान का विकास</li><li>• संविधान सभा</li><li>• संविधान सभा का कार्य प्रणाली</li><li>• संविधान सभा की समितियाँ</li><li>• संविधान का प्रभाव में आना</li><li>• संविधान सभा की आलोचना</li></ul>	1
2.	<b>प्रस्तावना</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख शब्द</li><li>• संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना</li></ul>	9
3.	<b>संविधान की मुख्य विशेषताएँ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ</li></ul>	11
4.	<b>संघ और उसके क्षेत्र</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• संवैधानिक प्रावधान</li><li>• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विकास</li></ul>	16
5.	<b>नागरिकता</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• संवैधानिक प्रावधान</li><li>• नागरिकता</li><li>• नागरिकता अधिनियम 1955</li><li>• भारत के प्रवासी नागरिक</li><li>• भारत में शरणार्थी</li><li>• नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019</li><li>• नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर</li><li>• भविष्य के पहलू</li></ul>	21
6.	<b>मौलिक अधिकार</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• संवैधानिक प्रावधान</li><li>• मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति</li><li>• मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ</li><li>• छह मौलिक अधिकार</li><li>• रिट और उसके प्रकार</li><li>• मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध</li><li>• मार्शल लॉ(सैनिक विधि) और मौलिक अधिकार</li><li>• संविधान के भाग III के बाहर के अधिकार</li><li>• मौलिक अधिकारों के अपवाद</li><li>• मौलिक अधिकारों का महत्व</li></ul>	30

7.	<b>राज्य नीति के निदेशक तत्व</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• निदेशक सिद्धांतों की विशेषता</li> <li>• निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण</li> <li>• बाद में जोड़े गए नए निदेशक सिद्धांत</li> <li>• निदेशक सिद्धांतों की उपयोगिता</li> <li>• राज्य नीति के निदेशक तत्व का कार्यान्वयन</li> <li>• संविधान के भाग IV के बाहर निदेशक तत्व;</li> <li>• मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच संघर्ष</li> </ul>	54
8.	<b>मौलिक कर्तव्य</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• मौलिक कर्तव्य</li> <li>• मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं</li> <li>• मौलिक कर्तव्यों की आलोचना</li> <li>• मौलिक कर्तव्यों का महत्व</li> <li>• मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति की टिप्पणियां</li> </ul>	62
9.	<b>संवैधानिक संशोधन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• संशोधन के प्रकार- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विशेष बहुमत से संशोधन</li> <li>2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन</li> <li>3. संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन</li> </ol> </li> <li>• संशोधन की प्रक्रिया</li> <li>• संशोधन प्रक्रिया की आलोचना</li> <li>• संविधान में संशोधन के ऐतिहासिक मामले</li> </ul>	64
10.	<b>संविधान की मूल संरचना</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• उद्भव</li> <li>• मूल संरचना के घटक</li> </ul>	67
11.	<b>संसदीय प्रणाली</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• संसदीय सरकार</li> <li>• संसदीय प्रणाली के गुण</li> <li>• संसदीय प्रणाली के दोष</li> <li>• भारतीय बनाम ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का मॉडल</li> </ul>	71
12.	<b>संघीय प्रणाली</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संघीय बनाम एकात्मक प्रणाली</li> </ul>	74
13.	<b>केंद्र राज्य संबंध</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• विधायी संबंध</li> <li>• प्रशासनिक संबंध</li> <li>• वित्तीय संबंध</li> <li>• वित्त आयोग</li> <li>• आपात स्थिति के प्रभाव</li> <li>• प्रशासनिक सुधार आयोग</li> </ul>	78

14.	<b>अंतर्राज्यीय संबंध</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्यायनिर्णयन</li> <li>• नदी जल विवाद न्यायाधिकरण</li> <li>• परिषद</li> </ul>	93
15.	<b>आपातकालीन प्रावधान</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• आपातकाल के प्रकार <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)</li> <li>2. राज्य आपातकाल</li> <li>3. वित्तीय आपातकाल</li> </ol> </li> <li>• आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना</li> </ul>	100
16.	<b>राष्ट्रपति</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संघ कार्यकारिणी</li> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• राष्ट्रपति का चुनाव</li> <li>• राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शपथ</li> <li>• राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शर्तें</li> <li>• राष्ट्रपति कार्यालय की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार</li> <li>• राष्ट्रपति कार्यालय का कार्यकाल</li> <li>• राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग</li> <li>• राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति</li> <li>• राष्ट्रपति की शक्तियां <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कार्यकारी शक्तियां</li> <li>2. विधायी शक्तियां</li> <li>3. वित्तीय शक्तियां</li> <li>4. न्यायिक शक्तियां</li> <li>5. राजनयिक शक्तियां</li> <li>6. सैन्य शक्तियां</li> <li>7. आपातकालीन शक्तियां</li> </ol> </li> <li>• राष्ट्रपति की वीटो शक्ति</li> <li>• राष्ट्रपति की अध्यादेशजारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123)</li> <li>• राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति</li> <li>• राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति</li> <li>• राष्ट्रपति का पद</li> </ul>	106
17.	<b>उपराष्ट्रपति ((उपाध्यक्ष)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• अनुच्छेद</li> <li>• चुनाव</li> <li>• योग्यता</li> <li>• शपथ</li> <li>• कार्यालय की शर्तें</li> <li>• परिलब्धियां</li> <li>• कार्यकाल</li> <li>• कार्यालय में रिक्ति</li> </ul>	115

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पद से हटाना</li> <li>• उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विवाद</li> <li>• उपराष्ट्रपति की शक्तियां</li> </ul>	
18.	<b>प्रधानमंत्री</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• शपथ</li> <li>• योग्यता</li> <li>• कार्यकाल</li> <li>• परिलब्धियां</li> <li>• प्रधानमंत्री की शक्तियां</li> <li>• राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध संवैधानिक प्रावधान</li> </ul>	118
19.	<b>केंद्रीय मंत्रिपरिषद</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• संयोजन</li> <li>• मंत्री की नियुक्ति</li> <li>• मंत्रियों की शपथ</li> <li>• मंत्रियों का वेतन</li> <li>• उनके द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति</li> <li>• मंत्रियों की जिम्मेदारी</li> <li>• कैबिनेट बनाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद</li> <li>• किचन कैबिनेट/आंतरिक कैबिनेट</li> <li>• छाया मंत्रिमंडल</li> <li>• कैबिनेट समितियां</li> </ul>	122
20.	<b>संसद</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• संसद की संरचना</li> <li>• संसद की सदस्यता</li> <li>• संसद के पीठासीन अधिकारी</li> <li>• संसद में नेता</li> <li>• संसद के सत्र</li> <li>• संसद में विधायी प्रक्रिया</li> <li>• संसद में बजट</li> <li>• अनुदान</li> <li>• केंद्र सरकार के लिए निधियां <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत की संचित निधि</li> <li>2. भारत का सार्वजनिक(लोक) खाता</li> <li>3. भारत की आकस्मिकता निधि</li> </ol> </li> <li>• संसद की शक्तियां और कार्य <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विधायी शक्तियां एवं कार्य</li> <li>2. कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य</li> <li>3. वित्तीय शक्तियां एवं कार्य</li> <li>4. सांविधानिक शक्तियां और कार्य</li> <li>5. न्यायिक शक्तियां और कार्य</li> <li>6. निर्वाचक शक्तियां और कार्य</li> <li>7. अन्य शक्तियां और कार्य।</li> </ol> </li> </ul>	127

	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्यसभा की स्थिति</li> <li>संसदीय विशेषाधिकार</li> <li>संसद की संप्रभुता</li> <li>संसदीय समितियाँ</li> <li>संसदीय मंच (Parliamentary Forums)</li> <li>संसदीय समूह (Parliamentary Groups)</li> </ul>	
21.	<b>राज्यपाल</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>संवैधानिक प्रावधान</li> <li>संवैधानिक स्थिति</li> <li>राज्यपाल की नियुक्ति</li> <li>योग्यता</li> <li>कार्यालय की अवधि</li> <li>राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें</li> <li>वेतन</li> <li>राज्यपाल की शक्तियां और कार्य</li> </ul>	168
22.	<b>मुख्यमंत्री</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>संवैधानिक प्रावधान</li> <li>मुख्यमंत्री की नियुक्ति</li> <li>शपथ</li> <li>अवधि</li> <li>वेतन और भत्ते</li> <li>मुख्यमंत्री की शक्तियां</li> <li>कार्य</li> <li>राज्यपाल के साथ संबंध</li> </ul>	174
23.	<b>राज्य मंत्री परिषद</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>संवैधानिक प्रावधान</li> <li>मंत्री परिषद का गठन</li> <li>नियुक्ति</li> <li>शपथ</li> <li>वेतन</li> <li>मंत्रियों के उत्तर दायित्व</li> <li>मंत्रियों का अधिकार</li> <li>मंत्रिमंडल (कैबिनेट)</li> </ul>	177
24.	<b>राज्य विधानमंडल</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>संवैधानिक प्रावधान</li> <li>संगठन</li> <li>विधान परिषद का निर्माण/उन्मूलन</li> <li>विधान सभा का गठन</li> <li>विधान परिषद का कार्यकाल</li> <li>राज्य विधानमंडल की सदस्यता</li> <li>राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी</li> <li>राज्य विधानसभाओं सत्र</li> <li>राज्य विधानमंडल में भाषा</li> <li>मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार</li> <li>राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया</li> </ul>	181

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• विधान परिषद की स्थिति</li> <li>• राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार</li> <li>• व्यक्तिगत विशेषाधिकार</li> </ul>	
25.	<b>कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रावधान</li> <li>• नागालैंड से लिए प्रावधान</li> <li>• असम और मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान</li> <li>• आंध्र प्रदेश या तेलंगानाके लिए विशेष प्रावधान</li> <li>• सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान</li> <li>• मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान</li> <li>• अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए विशेष प्रावधान</li> <li>• गोवा</li> </ul>	194
26.	<b>केंद्र शासित प्रदेश</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• केंद्र शासित प्रदेशों का गठन</li> <li>• केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन</li> <li>• दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान</li> <li>• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन अधिनियम), 2021</li> </ul>	198
27.	<b>अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन</li> <li>• जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन</li> </ul>	200
28.	<b>पंचायती राज</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• पंचायती राज का विकास</li> <li>• 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम</li> <li>• 1996 का पेसा अधिनियम</li> <li>• पंचायती राज के वित्तीय स्रोत</li> </ul>	202
29.	<b>नगर पालिका/निगम</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• शहरी निकायों का विकास</li> <li>• 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम</li> <li>• नगरपालिका कर्मी</li> <li>• निगम राजस्व</li> <li>• स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद</li> </ul>	210
30.	<b>भारतीय न्यायिक प्रणाली</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सर्वोच्च न्यायालय</li> <li>• संवैधानिक प्रावधान</li> <li>• इतिहास</li> <li>• संयोजन</li> <li>• नियुक्ति</li> <li>• योग्यता</li> <li>• शपथ या पुष्टि</li> <li>• न्यायाधीशों का कार्यकाल</li> <li>• न्यायाधीशों को हटाना</li> <li>• वेतन और भत्ते</li> </ul>	216

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कार्यकारी , तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश</li> <li>• उच्चतम न्यायालय की पीठ</li> <li>• न्यायालय की प्रक्रिया</li> <li>• न्यायालय की स्वतंत्रता</li> <li>• उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां</li> <li>1. मूल क्षेत्राधिकार</li> <li>• न्यायालय की शक्तियां</li> <li>1. अभिलेख का न्यायालय</li> <li>• उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता</li> <li>• भारतीय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के बीच अंतर</li> <li>• उच्च न्यायालय</li> <li>• न्यायिक समीक्षा</li> <li>• न्यायिक सक्रियता</li> </ul>	
31.	<b>संवैधानिक निकाय</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• भारत के महान्यायवादी</li> <li>• राज्य का महाधिवक्ता</li> <li>• भारत निर्वाचन आयोग</li> <li>• भारत का वित्त आयोग</li> <li>• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (SCs)</li> <li>• राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (STs)</li> <li>• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBCs)</li> <li>• भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए विशेष अधिकारी</li> <li>• भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)</li> <li>• संघ लोक सेवा आयोग (UPSC )</li> <li>• राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)</li> <li>• संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग</li> <li>• वस्तु एवं सेवा कर परिषद (Goods And Services Tax Council)</li> </ul>	240
32.	<b>गैर-संवैधानिक निकाय</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग</li> <li>• राज्य मानवाधिकार आयोग</li> <li>• केंद्रीय सतर्कता आयोग</li> <li>• केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)</li> <li>• राज्य सूचना आयोग</li> <li>• भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग</li> <li>• भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण</li> <li>• राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग</li> <li>• राष्ट्रीय महिला आयोग</li> <li>• अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग</li> <li>• लोकपाल और लोकायुक्त</li> <li>• नीति आयोग</li> <li>• राष्ट्रीय विकास परिषद</li> </ul>	244
33.	<b>अन्य संवैधानिक आयाम</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सहकारी समितियां</li> <li>• लोक सेवाएं</li> </ul>	247



34.	<b>विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग</li></ul>	<b>259</b>
35.	<b>निर्वाचन</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• संवैधानिक प्रावधान</li><li>• भारत में चुनाव के प्रकार</li><li>• चुनाव की आवश्यकता</li><li>• चुनाव का महत्व</li><li>• राजनीतिक दल</li><li>• विश्व में दलीय व्यवस्था</li><li>• राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को मान्यता</li><li>• क्षेत्रीय दल</li><li>• गठबंधन सरकार</li><li>• चुनाव कानून</li><li>• 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 के प्रावधान</li><li>• परिसीमन अधिनियम, 2002</li><li>• चुनाव सुधार</li></ul>	<b>261</b>

# भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ



- संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है-
  - जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है।
  - जो देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है।
  - जो राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है।

## संविधान के कार्य

- 8 राजनीतिक समुदाय की सीमाओं को घोषित और परिभाषित करना।
- राजनीतिक समुदाय की प्रकृति और अधिकार को घोषित और परिभाषित करना।
- एक राष्ट्रीय समुदाय की पहचान और मूल्यों को व्यक्त करना।
- नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की घोषणा करना और उन्हें परिभाषित करना।
- सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाएँ स्थापित करना।
- सरकार या उप-राज्य समुदायों के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का वितरण करना।
- राज्य की आधिकारिक धार्मिक पहचान घोषित करना।
- विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों के लिए राज्यों को प्रतिबद्ध करना।

## भारत के संविधान का विकास

### भारत में कंपनी शासन (1773-1858)

<p>रेगुलेटिंग एक्ट, 1773</p> <p>* कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन</li> <li>• बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना</li> <li>• इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।</li> <li>• बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसीडेन्सियों का गवर्नर जनरल कहा जाता था।</li> <li>• भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी।</li> <li>• कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774) की गई जिसमें एक मुख्यन्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश थे।</li> <li>• भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों के संबंध में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को आवश्यक कर दिया।</li> </ul>
<p>समझौता अधिनियम (बंदोबस्त कानून), 1781</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1781 के संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को मुक्त करने के साथ ही कंपनी के लोक सेवकों के द्वारा अपने कार्यकाल में संपन्न कार्यवाहियों के लिए मुक्त कर दिया गया।</li> <li>• कलकत्ता के सभी निवासियों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया और हिन्दू व मुस्लिमों के बाद उनके निजी कानूनों के हिसाब से तय करने का प्रावधान किया गया।</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• न्यायालय को <b>प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून</b> का प्रशासन करने का अधिकार था।</li> </ul>
<b>पिट्स इंडिया एक्ट, 1784</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>द्वैत शासन प्रणाली</b> की स्थापना की।             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ कंपनी के <b>वाणिज्यिक मामलों</b> का प्रबंधन करने के लिए <b>निदेशक मंडल को अनुमति दी</b>।</li> <li>○ अपने <b>राजनीतिक मामलों</b> का प्रबंधन करने के लिए <b>नियंत्रण बोर्ड</b> नामक निकाय का गठन किया गया।</li> </ul> </li> <li>• ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार तथा राजस्व गतिविधियों के पर्यवेक्षण की शक्ति नियंत्रण बोर्ड को प्रदान की गई।</li> </ul>
<b>चार्टर अधिनियम, 1813</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भारत में <b>कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त</b> किया गया।             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>अपवाद-</b> चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ही रखा गया।</li> </ul> </li> <li>• <b>कर लगाने के लिए स्थानीय सरकारों को अधिकृत</b> किया।</li> </ul>
<b>चार्टर अधिनियम, 1833</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>बंगाल का गवर्नर जनरल → भारत का गवर्नर जनरल(GGI) बना।</b></li> <li>• GGB = भारत के <b>प्रथम गवर्नर-जनरल (लॉर्ड विलियम बेंटिक)</b>।             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित किया गया।</li> <li>○ संपूर्ण ब्रिटिश भारत की अनन्य विधायी शक्तियाँ।</li> </ul> </li> <li>• कंपनी → विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी।</li> </ul>
<b>चार्टर अधिनियम, 1853</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>भारत का गवर्नर जनरल(GGI)</b> की परिषद के <b>विधायी और प्रशासनिक</b> कार्यों का पृथक्करण किया गया।</li> <li>• गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद गठित करके उसे भारतीय विधान परिषद नाम दिया गया जिसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसने मिनी संसद की तरह कार्य किया।</li> <li>• भारतीयों के लिए भी <b>भारतीय सिविल सेवाओं</b> के लिए <b>खुली प्रतियोगिता प्रणाली</b> की व्यवस्था की गई जिसके लिए <b>मैकाले समिति नियुक्त की गई</b>।</li> <li>• भारतीय (केंद्रीय) <b>विधान परिषद</b> में <b>स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ</b> किया। (6 सदस्यों में से 4 मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाएँगे)</li> </ul>

### भारत में क्राउन रूल (1858 से 1947)

<b>भारत सरकार अधिनियम, 1858</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया।</li> <li>• <b>एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया</b> भी कहा जाता है।</li> <li>• <b>भारत का गवर्नर जनरल (GGI)</b> के पद को <b>भारत का वायसराय पदनाम दिया गया (लॉर्ड कैनिंग)</b>।             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>भारत का गवर्नर जनरल (GGI)-</b> भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि।</li> </ul> </li> </ul>
---------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स</b> को समाप्त करके द्वेध प्रणाली को समाप्त किया गया।</li> <li>• भारत के राज्य सचिव, पद का सृजन करके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई।</li> <li>• <b>भारत सचिव</b> की सहायता के लिए <b>15 सदस्यीय भारतीय परिषद्</b> का गठन किया गया।</li> </ul>
<b>भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भारतीयों को गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करने के लिए वायसराय द्वारा नामांकित करने की व्यवस्था की गई। (लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव)</li> <li>• बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई।</li> <li>• बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की।</li> <li>• वायसराय द्वारा परिषद् के लिए नियम और आदेश बनाए जाएँगे।             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई।</li> </ul> </li> <li>• वायसराय आपातकाल में 6 महीने की वैधता के साथ अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।</li> </ul>
<b>भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की वृद्धि की गई।</li> <li>• विधान परिषदें बजट पर चर्चा कर सकती हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया।</li> <li>• केंद्रीय विधान परिषद् और बंगाल चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान।</li> <li>• इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद्, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स की सिफ़ारिशों पर गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी।</li> </ul>
<b>भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मॉर्ले-मिंटो सुधार।</li> <li>• केंद्रीय परिषद् में सदस्य 16 से 60 तक और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या एक समान नहीं थी।</li> <li>• दोनों परिषदों के सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर प्रस्ताव पेश कर सकते थे।</li> <li>• वायसराय और राज्यपालों की कार्यकारी परिषदों के साथ किसी भारतीय को संबद्ध होने का प्रावधान। (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कानून सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय)</li> <li>• मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान।</li> </ul>
<b>भारत सरकार अधिनियम, 1919</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।</li> <li>• केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण किया गया।</li> <li>• प्रांतीय विषय- विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर द्वारा शासित।</li> <li>• प्रांतीय विषय- गवर्नर द्वारा अपनी कार्यपालिका परिषद् की सहायता से शासित।</li> <li>• देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की।</li> <li>• वायसराय की कार्यकारी परिषद् के 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था।</li> <li>• सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था।</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान करना।</li> <li>• लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया।</li> <li>• सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय सेवा आयोग की स्थापना।</li> <li>• प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया।</li> </ul>
<b>भारत सरकार अधिनियम, 1935</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें राज्य रियासतें एक इकाई मानी गईं।</li> <li>• शक्तियों का तीन सूचियों में पृथक्करण किया गया।             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 विषय)</li> <li>○ प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, 54 विषय)</li> <li>○ समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषय)।</li> </ul> </li> <li>• अवशिष्ट शक्तियाँ: वायसराय में निहित किया गया।</li> <li>• प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई।             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ प्रांतों में उत्तरदायी जिम्मेदार सरकारों की शुरुआत की गई।</li> </ul> </li> <li>• केंद्र में द्वैध शासन को अपनाकर</li> <li>• संघीय विषयों को हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था।</li> <li>• 11 में से 6 प्रांतों (बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत) में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई।</li> <li>• दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाकर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तार प्रदान किया गया।</li> <li>• भारतीय परिषद् को समाप्त कर दिया गया।</li> <li>• भारतीय रिजर्व बैंक भारत देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए स्थापना की गई।</li> <li>• संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना।</li> <li>• 1937 में संघीय-न्यायालय स्थापित किया गया।</li> </ul>
<b>भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• माउंटबेटन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया</li> <li>• भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करके इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया।</li> <li>• 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया।</li> <li>• ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्रों के रूप में विभाजित किया गया।</li> <li>• संविधान सभाओं को अपने संबंधित राष्ट्रों का संविधान बनाने और अपनाने का अधिकार दिया गया।</li> <li>• भारतीय राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को अपनी शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया।</li> <li>• सिविल सेवकों की नियुक्ति तथा पदों में आरक्षण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।</li> <li>• इंग्लैंड के राजा से भारत के सम्राट की उपाधि को समाप्त कर दिया गया।</li> <li>• उसे विधेयकों को वीटो करने के अधिकार से वंचित कर दिया या कुछ विधेयकों को उनके अनुमोदन के लिए आरक्षण देने के लिए कहा।</li> <li>• भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।</li> </ul>

## संविधान सभा

भारत की संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन योजना का प्रावधान-

- कुल सदस्य = 389 आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत
  - 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई
    - 11 गवर्नर्स के प्रांतों से 292 सदस्य
    - 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से 4 सदस्य
  - देसी रियासतों को 93 सीटें उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों, सिखों और सामान्य (अन्य) के बीच विभाजित किया जाना था।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव → एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
- रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन - रियासतों के प्रमुखों द्वारा ।
- सदस्यों का चयन - अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा।
- जनता की भावनाओं को प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त, 1946 में हुए।
  - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीतीं,
  - मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीतीं,
  - 15 सिटें निर्दलीय प्रतिनिधियों को मिली ।
- रियासतों की सीटें नहीं भरी गई क्योंकि उन्होंने खुद को विधानसभा से अलग रखने का निर्णय लिया ।
- सभा में समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे, लेकिन तत्कालीन हस्तियों में से महात्मा गाँधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- 28 अप्रैल, 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि विधानसभा का हिस्सा बने।
- 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद अधिकांश रियासतों ने विधानसभा में प्रवेश किया, बाद में भारतीय अधिराज्य से मुस्लिम लीग भी विधानसभा में शामिल हुई।



## संविधान सभा की कार्य प्रणाली

- पहली बैठक- 9 दिसंबर, 1946, केवल 21 सदस्यों ने भाग लिया।
- मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश की माँग की।
- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए, (फ्रांस की तरह )
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था
- एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी → उपाध्यक्ष



## उद्देश्य प्रस्ताव

- 13 दिसंबर, 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया । जिसे 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।
- महत्वपूर्ण प्रावधान-
  - भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने हेतु संविधान निर्माण की घोषणा ।
  - भारत, ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक संघ होगा जिनकी सीमाएँ होगी तथा संविधान सभा द्वारा निर्धारित जिनके पास अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी और जो संघ में निहित सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगी।
  - संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ और अधिकार भारत की जनता से प्राप्त होगी ।



- भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर की समता और कानून के समक्ष विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, संघ और कार्य की स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणराज्य के क्षेत्र और भूमि, समुद्र और वायु पर उसके संप्रभु अधिकारों की अखंडता बनाए रखें।
- दुनिया में अपना सही और सम्मानित स्थान प्राप्त करना और विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूर्ण और इच्छुक योगदान देना।

## भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा परिवर्तित

- संविधान सभा → संविधान बनाने के लिए पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया।
- संविधान सभा: एक विधायी निकाय बन गया। जो कि संविधान बनाने और देश के लिए सामान्य कानून बनाने के लिए जिम्मेदार।
  - संवैधानिक निकाय के रूप में काम किया → डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में।
  - एक विधायिका के रूप में → जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष बने (26 नवंबर, 1949 तक)।
- मुस्लिम लीग विधानसभा से हट गई।
  - संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटाकर 299 रह गई।



## संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य-

- राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की मई, 1949
- भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई, 1947 को
- राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी, 1950 को
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया 24 जनवरी, 1950 को
- संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया 24 जनवरी, 1950 को लेकिन 26 जनवरी, 1950 से 1951-52 में पहले आम चुनाव होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य जारी रखा।



## संविधान सभा की समितियां-



	समिति	अध्यक्षता
प्रमुख समितियाँ	संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
	संघीय राज्यों के लिए समिति	जवाहर लाल नेहरू
	प्रारूप समिति	सरदार पटेल
	प्रांतीय संविधान समिति	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति – 5 उप समितियाँ	सरदार पटेल
	(i) मौलिक अधिकार उप-समिति	जे. बी. कृपलानी



	(ii) अल्पसंख्यक उप समिति	एच.सी. मुखर्जी
	(iii) उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम अपवर्जित और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति	गोपीनाथ बारदोलोई
	(iv) बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के अलावा) उप-समिति	ए.वी. ठक्करी
	(v) उत्तर-पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-समिति	अदद
	संचालन समिति राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
<b>लघु समितियाँ</b>	वित्त और कर्मचारी समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	साख समिति	अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
	सदन समिति कार्य संचालन समिति	बी. पट्टाभि सीतारमैया डॉ. के.एम. मुंशी
	संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति	जी.वी. मावलंकर
	सर्वोच्च न्यायालय के लिये तदर्थ समिति संघ के संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति	एस. वरदाचारी
	मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति	बी. पट्टाभि सीतारमैया
	संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति	नलिनी रंजन सरकार
	भाषाई प्रांत आयोग	एस.के. डार (जो की सभा के सदस्य नहीं थे)
	प्रारूप संविधान की जाँच के लिए विशेष समिति	जवाहरलाल नेहरू
	नागरिकता पर तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी (जो की सभा के सदस्य नहीं थे)

### प्रारूप समिति-

- 29 अगस्त 1947 को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था।
- समिति सदस्य सात -
  - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर → अध्यक्ष।
  - एन गोपालस्वामी अय्यंगर।
  - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
  - डॉ. के.एम. मुंशी।
  - सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
  - एन.माधव राव (बी.एल.मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने पर)।
  - टी.टी. कृष्णामाचारी (1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली)।





- संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया फरवरी, 1948 में
- दूसरा प्रारूप प्रकाशित हुआ अक्टूबर, 1948 में।

### संविधान का प्रभाव में आना

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया।
- प्रारूप पहली बार पढ़ा गया, पाँच दिन तक आम चर्चा हुई।
- संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ।
- तीसरी बार 14 नवंबर, 1949 से विचार होना शुरू हुआ।
- 26 नवंबर, 1949 (संविधान दिवस) को पारित किया गया।
- 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए प्रारूप संविधान में निहित है – प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ।



### संविधान का प्रवर्तन-

- 395 अनुच्छेद।
- 8 अनुसूचियाँ।
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित। नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और संक्षिप्त शीर्षक 26 नवंबर, 1949 को लागू। शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए।
- संविधान को अपनाने के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए।
- एबोलिशन ऑफ़ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिस्टिक्शन एक्ट (1949) लागू रहा।

### संविधान सभा की आलोचना-

- प्रतिनिधि निकाय नहीं - सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश को प्रतिबिंबित नहीं हुआ।
- एक संप्रभु निकाय नहीं - क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था और उनकी अनुमति से इसकी बैठक आयोजित की गई थी।
- अमेरिकी संविधान
- (केवल 4 महीने) की तुलना में संविधान बनाने में अधिक समय लगा।
- कांग्रेस का प्रभुत्व रहा।
- वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व रहा।
- हिंदुओं का वर्चस्व रहा।



- एल .एन. मुखर्जी = संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार (चीफ ड्राफ्टमैन)।
- प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा = सुलेखक (कैलिग्राफर) - संविधान के मूल शब्दों को प्रवाहित इटैलिक शैली में लिखा गया।
- नंद लाल बोस और बेहर राममनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया।
- हिंदी संस्करण की सुलेख = वसंत कृष्ण वैद्य।
  - सजाया और प्रकाशित = नंद लाल बोस।
- हाथी = संविधान सभा का प्रतीक। हाथी की मूर्ति सभा की मुहर पर खुदी हुई है।
- मूल रूप से भारत के संविधान में हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया था।
  - हिंदी प्रारूप- 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया जिसने संविधान के अंतिम भाग XXII में एक नया अनुच्छेद 394-ए डाला गया।



- संविधान का परिचय या प्रस्तावना, संविधान के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- संविधान के आधार के रूप में बुनियादी दर्शन और मौलिक मूल्यों का प्रतीक है।
- संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है।
- शेष संविधान के लागू होने के बाद अधिनियमित किया गया था।
- न ही विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही कोई निषेधक।
- गैर-न्यायसंगत कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं।
- बुनियादी ढाँचे को बदले बिना संशोधित किया जा सकता है।

### प्रस्तावना के मूल तत्व

- संविधान के अधिकार का स्रोत → भारत के लोग।
- भारत की प्रकृति भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है।
- संविधान के उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
- संविधान को अपनाने की तिथि - यह तारीख 26 नवंबर, 1949 है।

### प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख शब्द

- **संप्रभुता** - पूर्ण संप्रभु सरकार वह है जो किसी अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होती है तथा अपने आंतरिक या बाहरी मामलों के निष्पादन में स्वतंत्र है। संप्रभु हुए बिना किसी देश का अपना संविधान नहीं हो सकता। भारत एक संप्रभु देश है। यह किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है।
- **समाजवादी** - मूल संविधान का हिस्सा नहीं।
  - 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
  - आर्थिक नियोजन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है।
  - असमानताओं को दूर करने, सभी के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आदर्शों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता।
- **धर्मनिरपेक्षता** - 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया।
  - भारत न तो धार्मिक है, न अधार्मिक है और न ही धर्म विरोधी है।
  - कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं- राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है।
- **लोकतांत्रिक गणराज्य** - सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती है।
  - लोकतांत्रिक प्रावधान - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव, मौलिक अधिकार और जिम्मेदार सरकार।
  - गणतंत्र - राज्य का निर्वाचित प्रमुख (राष्ट्रपति → प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) ब्रिटेन जैसा वंशानुगत शासक नहीं।
- **न्याय** - लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास, निर्णय लेने में भागीदारी और मनुष्य के रूप में सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकारों के संदर्भ में वे क्या हकदार हैं।
  - रूसी क्रांति (1917) से न्याय के तत्वों को लिया गया है।
  - न्याय के तीन आयाम- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
    - **सामाजिक न्याय** - जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेद के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।
    - **आर्थिक न्याय** - आर्थिक कारकों पर गैर-भेदभाव।



सामाजिक न्याय + आर्थिक न्याय = 'वितरणात्मक न्याय'

- **राजनीतिक न्याय** - सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुँच और सरकार तक अपनी बात रखने का अधिकार ।
- **स्वतंत्रता** - विचार और अभिव्यक्ति की व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना।
  - फ्रांसीसी क्रांति (1789-1799) से लिया गया।
- **समानता** - समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान।
  - समानता के तीन आयाम- नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।
- **बंधुत्व** - भाईचारे की भावना, एकल नागरिकता की व्यवस्था और अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) द्वारा बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है।



### संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना -

बेरुबारी संघ बनाम अज्ञात मामला, 1960	केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, 1973	केंद्र सरकार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया मामले , 1995
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है' लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है।	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान की विधियों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।"	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय के न्यायालय में सीधे लागू करने योग्य नहीं है।